संख्या-31/2016/वे0आ0-2-510/ दस-08(मु0स0स0)/2011टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः 07 जून, 2016**

विषय- कुष्ठ संवर्ग के पदों की वेतन विसंगति एवं कुष्ठ संवर्ग के पदों पर कुष्ठ भत्ता अनुमन्य कराये जाने तथा प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) संवर्ग की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरणों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुष्ठ संवर्ग के पदों की वेतन विसंगति एवं कुष्ठ संवर्ग के पदों पर कुष्ठ भत्ता अनुमन्य कराये जाने तथा प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) संवर्ग की वेतन विसंगति से सम्बन्धित प्रकरणों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :--

(क) **कुष्ठ संवर्ग**

कुष्ठ संवर्ग के पदों पर शासनादेश दिनांक 21 मई, 2014 द्वारा स्वीकृत उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन दिनांक 01 जनवरी, 2006 से काल्पनिक आधार पर अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं है। कुष्ठ संवर्ग के पदों पर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन शासनादेश दिनांक 21 मई, 2014 के निर्गत होने की तिथि से जो अनुमन्य किये गये है, उसे यथावत् रखा जाय।

(ख) **कुष्ठ संवर्ग के पदों पर कुष्ठ भत्ता**

(i) नॉन मेडिकल असिस्टेन्ट (एन0एम0ए0) के पदों पर रु0 50/- प्रतिमाह की दर से अनुमन्य कुष्ठ भत्ते के स्थान पर रु0 100/- प्रतिमाह की दर से तथा नॉन मेडिकल सुपरवाइजर(एन0एम0एस0) के पद पर रु0 60/- प्रतिमाह की दर से अनुमन्य कुष्ठ भत्ते के स्थान पर रु0 120/- प्रतिमाह की दर से कुष्ठ भत्ता अनुमन्य कराया जाय।

(ii) फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन तथा हेल्थ ऐजुकेटर के पद, जिन पर वर्तमान में कुष्ठ भत्ता अनुमन्य नहीं है, उन पर भी क्रमशः रु0 100/- प्रतिमाह तथा रु0 120/- प्रतिमाह की दर से कुष्ठ भत्ता अनुमन्य कराया जाय।।

.....2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(iii) उक्तानुसार कुष्ठ भत्ते की संशोधित/संस्तुत दरें तत्काल प्रभाव अर्थात विभागीय शासनादेश निर्गत होने की तिथि से लागू की जायें।

***(ग)* <u>प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) संवर्ग</u>**

(i) प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के पदों पर अन्य विभागों यथा पशुपालन विभाग के प्रयोगशाला सहायक/परिवर्तित पदनाम प्रयोगशाला प्राविधिक (लैब टेक्नीशियन) के पदों के समान वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रु0 2800/- अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं है। प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के पद पर अनुमन्य वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रु0 2000/-को यथावत् बनाये रखा जाय।

(ii) प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए इस संवर्ग में उपलब्ध कुल पदों के 50 प्रतिशत पद प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) पदनाम से वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रु0 2000/- में तथा 50 प्रतिशत पद वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) पदनाम से वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रु0 2400/- में रखे जायें। उक्त व्यवस्था के उपरान्त वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के पदों को, प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के ऐसे पदधारक जिन्होंने इस रुप में 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से पदोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था रखी जाय।

(iii) उपर्युक्त उप प्रस्तर- ii के अनुसार व्यवस्था किये जाने के उपरान्त पूर्व निर्णय के आधार पर चिकित्सा अनुभाग-7 के शासनादेश दिनांक 02 जून, 2014 द्वारा निर्धारित प्रयोगशाला प्राविधिक (लैब टैक्नीशियन) के 25 प्रतिशत पदों पर प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) से पदोन्नति की व्यवस्था को संशोधित करते हुए निम्न व्यवस्था निर्धारित की जाय :-

प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) संवर्ग के पदधारकों को सी0एच0सी0 तथा उच्च स्तर के अस्पतालों का कार्य अनुभव प्राप्त कराने हेतु उक्त अस्पतालों में उनकी तैनाती की व्यवस्था की जाय। वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के पदों पर कार्यरत पदधारकों, जिन्होनें प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के पद की सेवा सम्मिलित करते हुए पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा सी0एच0सी0 तथा उच्च स्तर के अस्पतालों में 06 माह का कार्य अनुभव हो, में से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रयोगशाला प्राविधिक(लैब टेक्नीशियन)संवर्ग में उपलब्ध प्रयोगशाला प्राविधिक (लैब टेक्नीशियन) के 25 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति की व्यवस्था रखी जाये।

(iv) उपर्युक्त पुनर्गठन विभागीय शासनादेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी किया जाय।

.....3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उपर्युक्त प्रस्तर-1 के निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से यथाशीघ्र निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजय अग्रवाल

सचिव।

संख्या-31/2016/वे0आ0-2-510(1)/ दस-08(मु0स0स0)/2011टी0सी0,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।